डिक्री

[illegible]ालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

[illegible] — 125/2025

[illegible]न : —

1. सुमन पुत्री औमप्रकाश पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष [illegible]कील वादीया श्री अर्जुन बैनीवाल व वकील प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु [illegible]स्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि [illegible]ही मोजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 17/19 के मु0 न0 38 के किला न0 6/1, 7/1, [illegible] ता 17 कुल 1.214है0 नहरी खातेदारी व रोही मौजा चक 12 एसएस के खाता सं0 7/7 के [illegible] न0 8 के किला न0 2/5, 2/6, 8, 9/2, 12/2, 13, 18, 19/2, 22/2, 23 कुल रकबा [illegible].519है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में विनोद पुत्री औमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व [illegible]िकार्ड में दर्ज है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम विनोद पुत्री औमप्रकाश के स्थान पर [illegible]ुमन पुत्री औमप्रकाश दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है एवं यदि कृषि [illegible]ूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन [illegible]किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई [illegible]काया देय आदि विनोद पुत्री औमप्रकाश के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम विनोद पुत्री [illegible]ौमप्रकाश ही लागू होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से [illegible]ारी की गई।

(भागीरथ राम)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़